

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय
"OM&M Cell"(Operation, Maintenance and Management Cell)
प्लॉट नं०-18, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।

पत्र संख्या- 0802 / OM&M / 2019-20

दिनांक: 23 मार्च, 2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

विषय:- उत्तर प्रदेश में स्थापित एसटीपीटी व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य। (Package- 4, Lucknow Package- 6, Agra & Package- 8, Ghaziabad)

- संदर्भ:- 1. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं०-503/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020
 2. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं०-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020
 नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति निम्नानुसार है:-

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव
5	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
6	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

प्रमुख सचिव, नगर विकास निर्देश के क्रम में, उक्त समिति की बैठक सचिव नगर विकास द्वारा सम्पन्न करायी गयी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यो/ उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के संबंधित मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक एवं फर्मों के परियोजना प्रबन्धक/प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-1)

2. बैठक में निम्न एजेण्डा प्रस्तुत किया गया जिस पर विचार विमर्श एवं निर्णय लिया गया।
 i. लखनऊ जोन के लिए माह दिसम्बर, 2019 एवं जनवरी 2020 में फर्म - मेसर्स SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त बिलों पर निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम को धनराशि अवमुक्त किया जाना। विवरण निम्नानुसार है।

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
1	दिसम्बर, 2019	7,24,53,606.00(जीएसटी सहित)	अनुबन्ध की क्लाज 39, सेक्शन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
2	जनवरी, 2020	7,24,77,958.00 (जीएसटी सहित)	

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय
"OM&M Cell"(Operation, Maintenance and Management Cell)
प्लॉट नं०-18, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।

पत्र संख्या- 0802 / OM&M / 2019-20

दिनांक: 23 मार्च, 2020

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

विषय:- उत्तर प्रदेश में स्थापित एसटीपीटी व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य। (Package- 4, Lucknow Package- 6, Agra & Package- 8, Ghaziabad)

- संदर्भ:- 1. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं०-503/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020
 2. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं०-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020
 नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा गठित समिति निम्नानुसार है:-

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
4	श्री आर.के. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव
5	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
6	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

प्रमुख सचिव, नगर विकास निर्देश के क्रम में, उक्त समिति की बैठक सचिव नगर विकास द्वारा सम्पन्न करायी गयी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यो/ उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के संबंधित मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक एवं फर्मों के परियोजना प्रबन्धक/प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। (उपस्थिति पंजिका/संलग्नक-1)

2. बैठक में निम्न एजेण्डा प्रस्तुत किया गया जिस पर विचार विमर्श एवं निर्णय लिया गया।
 i. लखनऊ जोन के लिए माह दिसम्बर, 2019 एवं जनवरी 2020 में फर्म - मेसर्स SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त बिलों पर निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम को धनराशि अवमुक्त किया जाना। विवरण निम्नानुसार है।

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
1	दिसम्बर, 2019	7,24,53,606.00(जीएसटी सहित)	अनुबन्ध की कलाज 39, सेक्शन-4 में भुगतान की प्रक्रिया वर्णित है।
2	जनवरी, 2020	7,24,77,958.00 (जीएसटी सहित)	

- ii. आगरा एवं गाजियाबाद जोन के लिए – मेसर्स V.A. TECH WABAG Limited को 5 प्रतिशत मोबलाइजेशन एडवान्स (द्वितीय किश्त) अवमुक्त किया जाना।

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	अनुबन्ध के अनुरार देय मोबाइजेशन एडवांस की धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
1	प्रथम मोबलाइजेशन एडवान्स	1. गाजियाबाद जोन- रुपये 52,4,64,097.00 2. आगरा जोन- रुपये 21,42,01,45.00	भुगतान किया जा चुका है तथा फर्म द्वारा यू०सी० जमा की गयी है।
2	द्वितीय मोबलाइजेशन एडवान्स	1. गाजियाबाद जोन- रुपये 52,4,64,097.00 2. आगरा जोन- रुपये 2,14,20,145.00	अनुबन्ध के क्लॉज 34 सेक्शन-2 के अनुसार भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

- iii. आगरा एवं गाजियाबाद जोन के लिए माह दिसम्बर, 2019 एवं जनवरी 2020 में फर्म – मेसर्स V.A. TECH WABAG Limited द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त बिलों पर निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम को धनराशि अवमुक्त किया जाना।

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रुपये में)	टिप्पणी
गाजियाबाद जोन (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर) – 15 एसटीपी, 44 पम्पिंग स्टेशन, 2795 किमी० नेटवर्क			
1	16 से 31 दिसम्बर 2020	3,33,22,651.32 (जीएसटी सहित)	74 MLD STP Indirapuram, में रु० 160000/- तथा 56 MLD STP Dundahera में रु० 80000/- की LD लगाई है।
2	जनवरी, 2020	9,59,83,380.13 (जीएसटी सहित)	74 MLD STP Indirapuram, में रु० 310000/- की LD लगाई है।
आगरा जोन (आगरा-7 एसटीपी, 28 पम्पिंग स्टेशन एवं 910 किमी० सीवर नेटवर्क)			
1	16 से 31 दिसम्बर 2020	1,51,59,703.00 (जीएसटी सहित)	–
2	जनवरी, 2020	4,00,89,463.00 (जीएसटी सहित)	–

- iv. अन्य बिन्दु प्रमुख सचिव, नगर विकास/अध्यक्ष की अनुमति द्वारा।

- 10 प्रतिशत सेन्टेज/सुपरविजन चार्जस उ०प्र० को भुगतान किये जाने के संबंध में।
- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद एवं गोरखपुर जोन के कुल 29 एसटीपी की प्रत्येक सप्ताह Treated Effluent सैम्पलिंग एवं टेस्टिंग कराई जाये जिससे फर्म द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित एवं प्रमाणित की जा सके।



3. उ०प्र० जल निगम के संबंधित परियोजना प्रबंधक द्वारा लेबोरेटरी में टेस्ट किये जा रहे सैम्पल की वेटिंग सप्ताह में न्यूनतम एक बार किया जाना।
4. निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्ड एम सेल के सुदृणीकरण हेतु कार्यवाही पर चर्चा।
3. नगर विकास विभाग के शासनादेश सं०-5483/नौ-5-2017-447सा/2017 दिनांक 12.02.2018 द्वारा लखनऊ नगर के समस्त एस०टी०पी० व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेंज नेटवर्क के दीर्घकालीन संचालन, रख-रखाव एवं प्रबंधन का कार्य वन सिटी वन ऑपरेटर के सिद्धान्त पर मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, हरियाणा को अवार्ड एवं अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, हरियाणा द्वारा अनुबंध सं०-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 4, Lucknow के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2019 से लखनऊ शहर के 3 एस.टी.पी., 30 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 2140 कि.मी. सीवर नेटवर्क के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबंधन का कार्य प्रारम्भ किया गया। मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड, चेन्नई द्वारा अनुबंध सं०-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 6, Agra के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 से आगरा शहर के लिए 7 एस.टी.पी., 28 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 910 कि.मी. सीवर नेटवर्क के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबंधन का कार्य प्रारम्भ किया गया। मेसर्स बी०ए०टेक वाबाग लिमिटेड, चेन्नई द्वारा अनुबंध सं०-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 8, Ghaziabad के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 से Ghaziabad Zone (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लोनी, पिलखुआ, रामपुर, बिजनौर एवं अनूपशहर), शहर के लिए 15 एस.टी.पी., 44 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं लगभग 2794 कि.मी. सीवर नेटवर्क के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबंधन का कार्य प्रारम्भ किया गया।
4. मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० के परियोजना निदेशक द्वारा प्रेजेन्टेशन देते हुए अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर-2019 में 345 एम०एल०डी० एस०टी०पी० भरवारा पर 345 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 286.27 एम०एल०डी०, 42 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 42 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 44.45 एम०एल०डी० एवं 14 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 14 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 15.56 एम०एल०डी० सीवेज तथा माह जनवरी-2019 में 345 एम०एल०डी० एस०टी०पी० भरवारा पर 345 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 263.28 एम०एल०डी०, 42 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 42 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 52.17 एम०एल०डी० एवं 14 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 14 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 15.33 एम०एल०डी० सीवेज का शोधन डिजाइन पैरामीटर के अनुरूप किया गया है। माह दिसम्बर-2019 एवं माह जनवरी-2020 में फर्म द्वारा एस.टी.पी., इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सीवर नेटवर्क के इम्पूवमेन्ट का विवरण तथा कस्टमर केयर में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति से अवगत कराया गया। यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि जी.एच. कैनाल के पम्पिंग स्टेशन के पम्प के रिप्लेस करने की स्वीकृति जल निगम द्वारा अभी तक प्रदान नहीं की गई है जिसके कारण जी०एस० कैनाल पम्पिंग स्टेशन से सीवेज की क्षमता के अनुसार Sewage quantity को ग्वारी मेन पम्पिंग स्टेशन तक नहीं भेजा जा पा रहा है। (संलग्नक-2/प्रस्तुतीकरण की प्रति)
5. मेसर्स बी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक, आगरा द्वारा प्रेजेन्टेशन देते हुए अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा दिनांक 16.03.2020 से 7 एस.टी.पी. 28 पम्पिंग स्टेशन एवं 910 कि.मी. सीवर नेटवर्क का प्रबंधन कार्य प्रारम्भ किया है। फर्म द्वारा 2 Super Sucker, 6 Jetting Cum Suction Machine, 10 Tractor Mounted Suction Machine, 7 Staff & Labour Transport Vechiles एवं 4 Tractor लगाये गये हैं। फर्म द्वारा मुख्य रूप से मुख्य रूप से एस.टी.पी. के प्री-ट्रीटमेन्ट यूनिट, यू.ए.एस.बी. रिएक्टर, गैस फ्लो मीटर, डी.जी. सेट, पम्पिंग स्टेशन के पम्प रिपेयर तथा सीवर क्लीनिंग/डी-सिल्टिंग का कार्य किया जा रहा। कस्टमर केयर द्वारा पब्लिक कम्प्लेन्ट्स को दर्ज करते हुए इनका निराकरण किया जा रहा है, तथा लगभग 85-90 प्रतिशत का निराकरण माह दिसम्बर व जनवरी में किया गया



(संलग्नक-3/प्रस्तुतीकरण की प्रति)। मुख्य अभियन्ता, आगरा द्वारा फर्म द्वारा किये जा रहे कार्य के संबंध में अवगत कराया तथा फर्म की कार्य पद्धति पर असन्तोष व्यक्त किया एवं फर्म से अनुरोध किया कि खराब पम्पों को तत्काल रिपेयर/रिप्लेस किया जाये एवं पम्पिंग एवं एस0टी0पी0 की परफार्मेंस में सुधार किया जाये।

6. मेसर्स वी0ए0 टेक वाबाग लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक, गाजियाबाद द्वारा प्रेजेन्टेशन देते हुए अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा दिनांक 16.03.2020 से गाजियाबाद जोन के 15 एस.टी.पी. में से 13 एस.टी.पी. 44 पम्पिंग स्टेशन एवं 2795 कि.मी. सीवर नेटवर्क का प्रबंधन कार्य प्रारम्भ किया है। फर्म द्वारा 2 Super Sucker, 17 Jetting Cum Suction Machine, 8 Tractor Mounted Suction Machine, 9 Tractor एवं 11 Dewatering Diesel Pumps लगाये गये हैं। फर्म द्वारा मुख्य रूप से मुख्य रूप से एस.टी.पी. के प्री-ट्रीटमेंट यूनिट, यू.ए.एस.बी. रिएक्टर, गैस फ्लो मीटर, डी.जी. सेट, पम्पिंग स्टेशन के पम्प रिपेयर तथा सीवर क्लीनिंग/डी-स्लिटिंग का कार्य किया जा रहा। कस्टमर केयर द्वारा 1837 पब्लिक कम्प्लेन्ट्स को दर्ज करते हुए 1714 का निराकरण किया जा रहा है। (संलग्नक-4/प्रस्तुतीकरण की प्रति)
7. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा बैठक में उपस्थित बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा लखनऊ, आगरा एवं गाजियाबाद जोन के एस0टी0पी0 से एकत्रित किये गये सैम्पुल की टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है। (संलग्नक-5)।
8. सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुबंध के Volume-1, Section-V, Clause 5.5.1 के अन्तर्गत Treated effluent quality (KPIs) में Mandatory पैरामीटर के सम्बन्ध में अवगत कराया। अनुबंध के Volume-1, Section-IV, Clause 39 में फर्म द्वारा संपादित कार्य के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप न पाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए, फर्म द्वारा प्रस्तुत पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल से कटौती किया जाना उचित होगा। शासनादेश दि0 03.03.2020 के पैरा-6 में निहित प्राविधान के तहत फर्म द्वारा प्रेषित लैब रिपोर्ट, थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट एवं पी.सी.बी. की लैब रिपोर्ट के आधार पर उ0प्र0 जल निगम को प्रमाणित बिल के सापेक्ष धनराशि निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा निर्गत की जानी है। आगरा एवं गाजियाबाद जोन के एस0टी0पी0 के Treated effluent की सैम्पल की टेस्टिंग Third Party से नहीं कराई गयी है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि एनएबीएल एक्स्टेड लैब में प्रत्येक माह में न्यूनतम 4 सैम्पल टेस्ट हेतु भेजे जाये। फर्म M/S V.A. Tech Wabag द्वारा लोनी का एस0टी0पी0 अभी तक संचालित नहीं किया गया है। अनूपशहर के 2 एस0टी0पी0 01.04.2021 से संचालन हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा हैण्ड ओवर किया जायेगा।
9. उ0प्र0 जल निगम द्वारा शासनादेश में निहित प्राविधान एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को मासिक प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का 10 प्रतिशत सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जस भुगतान करने का अनुरोध किया गया।
10. समिति की संस्तुति:-
उपरोक्तानुसार, फर्म द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा पैकेज-4, लखनऊ जोन, पैकेज-6 आगरा एवं पैकेज-8 गाजियाबाद के माह दिसम्बर, 2019 एवं जनवरी, 2020 के प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल एवं फर्म की Laboratory की प्रत्येक दिन की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्स्टेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पुल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार

Ridh

पर निम्नानुसार धनराशि उ०प्र० जल निगम को शासन/निदेशालय से अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

- (i) उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-4, लखनऊ जोन (मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-6)

क्र. स.	विवरण	माह दिसम्बर, 2019 धनराशि (रु०)	माह जनवरी 2019 धनराशि (रु०)
1.	पेमेंट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रु० 578,34,527/-	रु० 63294116/-
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रु० 69,40,143/-	रु० 75,95,294/-
3.	फ्यूल चार्ज (As per actual Certified by UPJN)	रु० 10,5920/-	रु० 12,7658/-
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज सुपरवीजन चार्ज (10 प्रतिशत)	रु० 57,83,453/-	रु० 63,29,412/-
5.	कुल धनराशि	रु० 7,06,64,043/-	रु० 7,36,39,390/-
6.	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त धनराशि	रु० 14,43,03,433/-	

- (ii) उ०प्र० जल निगम को पैकेज-6, आगरा एवं पैकेज-8, गाजियाबाद जोन, के सापेक्ष फर्म-मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड को द्वितीय मोबलाइजेशन एडवान्स अवमुक्त की जाने वाली धनराशि - निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को पत्र निर्गत कर अनुरोध किया जाये कि द्वितीय मोबलाइजेशन एडवान्स, आगरा एवं गाजियाबाद जोन के सापेक्ष कुल धनराशि रु० 7,38,84,242.00 के भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को निर्गत कर दी जाये। पूर्व में मोबलाइजेशन एडवान्स की कुल धनराशि रु. 23.86 करोड़ राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को उपलब्ध कराई गयी थी। प्रथम मोबलाइजेशन का एडवान्स (5%) का भुगतान राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया था।

द्वितीय मोबलाइजेशन एडवान्स	1. गाजियाबाद जोन- रुपये 52,4,64,097.00 1. आगरा जोन- रुपये 2,14,20,145.00	अनुबन्ध के कलाज 34 सेक्शन-2 के अनुसार भुगतान किया जाना है।
----------------------------	---	--

गोरखपुर जोन हेतु भी अवशेष (5 प्रतिशत) मोबलाइजेशन एडवान्स की धनराशि प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को हस्तांतरित करने के लिए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को भेजा जाये।

- (iii) (क) उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-4, आगरा जोन (मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-7)

क्र.स.	विवरण	माह दिसम्बर, 2019 धनराशि (रु०)	माह जनवरी 2019 धनराशि (रु०)
1.	पेमेंट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रु० 95,09,996/-	रु० 1,79,37,515/-
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रु० 1141200/-	रु० 2152502/-
3.	फ्यूल चार्ज (As per actual Certified by UPJN)	रु० 8357/-	रु० 93921/-

4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	रु० 951000/-	रु० 1793752/-
5.	कुल धनराशि	रु० 11610553/-	रु० 21977692/-
6.	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त धनराशि	रु० 3,35,88,245/-	

माह दिसम्बर, 2019 में फर्म द्वारा सीवर नेटवर्क को टेकओवर नहीं किया गया जिसके सापेक्ष बी०ओ०क्यू० के मद संख्या-6 के सापेक्ष 16 दिन की धनराशि रु० 48,98,839/- की कटौती की गयी है।

(ख) उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज-8, गाजियाबाद जोन (मेसर्स वी०ए० टेक वाबाग लिमिटेड), के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (संलग्नक-8)

क्र.स.	विवरण	माह दिसम्बर, 2019 धनराशि (रु०)	माह जनवरी 2019 धनराशि (रु०)
1.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	रु० 16476712/-	रु० /-32492667
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	रु० 1977205/-	रु० /-3899120
3.	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	रु० 40270/-	रु० /-181615
4.	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	रु० 1647671/-	रु० /-3249267
5.	कुल धनराशि	रु० 20141858/-	रु० /-39822668
6.	उ०प्र० जल निगम को अवमुक्त धनराशि	रु० 5,99,64,526/-	

सीवर नेटवर्क अनुस्क्षण कार्य हेतु बी०ओ०क्यू० मद संख्या-6 के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 में 16 दिन की धनराशि रु० 1,36,83,904/- तथा माह जनवरी 2020 में 31 दिन की धनराशि रु० 2,65,12,563/- को जलकल विभाग से प्रमाणित न होने के कारण Withheld किया जाना उचित है। यह तथ्य महाप्रबन्धक, जल निगम द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित बिल में अंकित किया है। जलकल विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद उक्त Withheld कुल धनराशि रु० 4,01,96,467/- नगरीय निकाय निदेशायल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त किया जायेगा जिसका भुगतान उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा फर्म को किया जायेगा।

अतः उक्त पैरा (I) एवं पैरा-(III) में उल्लेखित कुल धनराशि रु० 27,80,52,671/- (रु० 14,43,03,433+ रु० 3,35,88,245+ रु० 59964526 + रु० 4,01,96,467) उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त की जानी है। उ०प्र० जल निगम द्वारा अनुबन्ध की शर्तों एवं इस संबंध में जारी शासनादेश के दिशानिर्देशों का पालन पूर्ण रूप से किया जायेगा।

उक्त फर्मों, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं जल संस्थान की अलग से बैठक सम्पन्न कराई जाये। इसमें फर्म द्वारा उठाये गये बिन्दुओं एवं जल निगम / जल संस्थान के बिन्दुओं पर अलग से समीक्षा हो जिससे उक्त शहरों के एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन का कार्य सुचारु से सम्पादित हो सके।

IV. अन्य अन्य मुख्य बिन्दु पर अपेक्षित कार्यवाही निम्नानुसार है।


1. उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 10 प्रतिशत सेन्टेज/रुपरविजन चार्जरा हेतु नगरीय निकाय निदेशालय को डिमान्ड एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। (कार्यवाही-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम)
2. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लखनऊ-03 एस०टी०पी०, गाजियाबाद-15 एस०टी०पी० (गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, गुजपफरनगर, लोनी, पिलखुआ, रामपुर, बिजनौर एवं अनूपशहर), आगरा-07 एस०टी०पी० एवं गोरखपुर-04 एस०टी०पी० (गोरखपुर, अयोध्या एवं सुल्तानपुर) जोन के कुल 29 एस०टी०पी० की प्रत्येक सप्ताह Treated Effluent की सैम्पलिंग एवं टेस्टिंग कराई जाये जिससे फर्म द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित एवं प्रमाणित की जा सके। (कार्यवाही सदस्य उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)
3. उ०प्र० जल निगम के संबंधित परियोजना प्रबन्धक द्वारा लेबोरेटरी में टेस्ट किये जा रहे सैम्पल की वेटिंग सप्ताह में न्यूनतम एक बार किया जाना चाहिए। NABL Accredited Laboratory से Third Party Treated Effluent की सैम्पल टेस्टिंग की जिम्मेदारी संबंधित महाप्रबंधक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम की है। अतः संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा शासन से अनुमोदित आई०आई०टी०आर० (सी०एस०आई०आर०), लखनऊ या श्रीराम टेस्ट हाउस, नई दिल्ली को सैम्पल भेजते हुये प्रत्येक सप्ताह Treated Effluent की टेस्टिंग कराई जायेगी। (कार्यवाही-संबंधित महाप्रबंधक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम)
4. निदेशालय में गठित ओएम०एण्डएम० सेल के सुदृणीकरण हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (ओएम०एण्डएम० सेल), स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-849/नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा रु० 250 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ०प्र० जल निगम को उक्त धनराशि अवमुक्त की जानी है।

अनुराग यादव
सचिव,
नगर विकास विभाग

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।


(श्री आर.के. चौधरी)
मुख्य अभियन्ता/
सदस्य सचिव,
नगरीय निकाय निदेशालय